परिशिष्ट-

TT Com

	irst Year (I Sem & II Sem)			
Propose	ed Fees of Govt. Engineerin	College Jaipur B.Tech. First Year (I Sem & II Sem) B.Tech. (I Semester) I Year		
110000	F			
	Class/Course	General/OBC/SBC	SC/ST/Girls Rajasthan	
			Rajasman	
	Tuition Fee	7500	7500	
1.	Tuttion rec	7500	1600	
2.	College Development Fee	1600	100	
3.	Exam Fee	100	2500	
4,	Insurance Fee	2500	5000	
5.	RTU Dev. Fee	5000	100	
6.	Caution Money (One Time)	100	100	
7.	Admission Fee		1500/	
8.	Other Fees	1500/-	<u>1500/-</u>	
(i)	Student Welfare Fund	As per University	As per University	
(ii)	University Enrollment	As per onitores	10200	
()	Fee*	25800	18300	
	Total Fees Sem. wise			
B. Tech. (II Semester) I Year				
		Admission Category		

1		B.Tech. II be	
	Class/Course	Admissior General/OBC/SBC	n Category SC/ST/Girls Rajasthan
1. 2. 3.	Tuition Fee College Development Fee Exam Fee Total Fee Sem, wise	7500 7500 1600 16600	7500 1600 9100

Alumni fee :- will be taken in final year in B.Tech. Total Fee Se

Degree fee:- will be taken as per university.

* Insurance Fee:- Applicable as per Govt. Norms

*** As per C.A. Report, there is no requirement to collect GST on College Fees. (C.A. Report Attached) ** Hostel Fee & Caution money will be added for Hosteller.

नियम:–

यह शुल्क संरचना अस्थायी है और समय–समय पर राजस्थान सरकार के निर्देशोंनुसार परिवर्तन के अधीन है।

- प्रवेश के समय विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क राशि रु. 350/– आरबीएसई, रु. 500/– सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड के लिये रु. 700/– 1. लिया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के अनुसार समय समय पर परिवर्तनशील रहेगा। 2
- विश्वविद्यालय के नियम/आदेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए लागू होंगे। 3
- प्रवेश शुल्क व शिक्षण शुल्क नियमानुसार राजकीय मद में जमा होंगे।
- 5- कॉशन मनी पाठयक्रम समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थियों को नियमानुसार निर्धारित अवधि लौटा दी जायेगी।
- 6- विकास शुल्क का उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय्./साफ्टवेयर क्रय/लैब विकास, समस्त प्रकार की मरम्मत व रखरखाव एवं क्रमोन्यन में

प्राचार्य के अनुमोदन से किया जायेगा। 7- Student Welfare Fund का उपयोग विद्यार्थियों सम्बन्धित कार्यशाला/मीटिंग/सेमीनार/चिकित्सा सहायता एवं छात्रों की अन्य आवश्यकतानुसार जरुरतों को पूरा करने के लिये प्राचार्य के अनुमोदन से किया जायेगा।

- 8- फीस के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम/परिपत्र लागू होंगे तथा फीस राशि की प्राप्ति, रोकड़ पुस्तिका का भारत थ राजाय ते राजा है का संधारण व खर्च का रोकड़ पुरितका में प्रविष्टि व मिलान का कार्य GF&AR के नियमानुसार किया संधारण व अन्य लेखा रिकार्ड का संधारण व खर्च का रोकड़ पुरितका में प्रविष्टि व मिलान का कार्य GF&AR के नियमानुसार किया
- 9- समस्त उपापन सम्बन्धी कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार किये जायेंगे।

1 4 4 5

Dr. Ravi Gupta) an april, Govt. Engineering College, Jaipur

C Sa -iter - 23

(Kailash Chand Nadola) Sr. Accounte Off

(Alok Bansal) **Director Technical Education**

